



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062023-246289  
CG-DL-E-05062023-246289

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]  
No. 339]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2023/ज्येष्ठ 15, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2023/JYAISHTHA 15, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2023

सा.का.नि. 413(अ).—जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, दिनांक 21 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 462(असा.) के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (क) में संशोधन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 21 जून, 2022 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ऐसे संशोधन आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क) दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या ओ-17/4/2022-वर्क्स-3-यूडी के माध्यम से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए अधिसूचित सुसंगत दिशानिर्देश और मानक- 2021 में यथा निर्दिष्ट सार्वजनिक भवनों के लिए मानक जैसा कि समय- समय पर संशोधित किया जाता है, का अनुपालन करेंगे:”

[फा. सं. 38-05/2022-डीडी-III (भाग-1)]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

**नोट :** दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(असा.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 10 मई, 2023 की सा.का.नि. 359 (असा.) के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

### (Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan))

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2023

**G.S.R. 413(E).**—Whereas a draft of certain rules to amend clause (a) of sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities *vide* notification number G.S.R. 462(E), dated the 21<sup>st</sup> June, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 21<sup>st</sup> June, 2022;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule (15), in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) standard for public buildings as specified in the Harmonised Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India – 2021, notified by the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs, *vide* notification number O-17/4/2022-works-3-UD dated the 18<sup>th</sup> October, 2022, as amended from time to time:”

[F. No. 38-05/2022-DD-III (Part-1)]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

**Note :** The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 359 (E), dated the 10<sup>th</sup> May, 2023.